संख्या: 17/2024/191/छप्पन-2024-56-1002-001-2-2022

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 फरवरी, 2024

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में विभिन्न मदों के लिए पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-334/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/24, दिनांक 05 फरवरी, 2024 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 25000.00 लाख (रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800 अन्यव्यय-20-हवाईपट्टियो के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन	धनराशि (लाख रूपये में)
60 भूमि क्रय	25000.00
(रूपये दो अरब पचास करोड़ मात्र)	25000.00

2- चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के पूंजी लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02- विमानपत्तन -800-अन्य व्यय की दो मानक मदों यथा 21-जेवर एयरपोर्ट-24-वृहद निर्माण कार्य में से रू0 5200.00 लाख एवं 22-अयोध्या एयरपोर्ट -60-भूमि क्रय में से रू0 9800.00 लाख तथा पूंजीलेखा-5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03 हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26 मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र रू0 में से 10000.00 लाख की उपलब्ध बचतों को सक्रंमित कर पूंजी लेखा-लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्यव्यय-20-हवाईपट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60 भूमि क्रय के अन्तर्गत रू0 25,000.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल और वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशो से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

4- बचत की धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

6- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाएगा।

8- यह आदेश ई-आफिस कम्प्यूटर नं0-1736717 (नोट संख्या-109) में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

पृ0सं0 :17/2024/191(1)/छप्पन-2024-तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ-1,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।